

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

<p>37 21.09.2023</p>	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय उपायुक्त, राँची</b></p> <p style="text-align: center;"><u>दा० खा० पुनरीक्षण वाद सं० 12 आर० 15 / 2022-23</u></p> <p>नवीन कुमार सिंह पिता श्री राखो हरि सिंह, निवासी ग्राम-टांगरटोली, पो० एल्लू थाना बुण्डू, जिला-राँची वर्तमान निवासी ओ०/13, शिवगंगा अपार्टमेन्ट, बाल विहार के पास, सोनारी, जमशेदपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम ..... प्रार्थी बनाम</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राज्य</li> <li>2. पंकज कुमार सिंह, पिता श्री भगवान सिंह, निवासी ग्राम एवं पो०-लईयो, राधाकृष्ण मंदिर के पास, थाना-मांडू, जिला-रामगढ़</li> <li>3. मीनाक्षी सिंह, पति दिलीप कुमार सिंह निवास ग्राम पारदोहर लोहरसी, जिला- पलामू</li> <li>4. चम्पा सिंह, पति-पंकज कुमार सिंह, निवास ग्राम-लईयो, थाना-मांडू, जिला-रामगढ़</li> <li>5. लीला सिंह, पति-प्रताप कुमार सिंह, निवास ग्राम-लईयो, थाना-मांडू, जिला-रामगढ़ ..... उत्तरवादी</li> </ol> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद प्रार्थी ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू राँची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 22/2021-22 में दिनांक 07.04.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण वाद संख्या-56 आर० 27/2021-22 (बुण्डू) में पारित आदेश दिनांक-26.06.2021 को निरस्त करते हुए अंचल अधिकारी, बुण्डू को निदेश दिया कि वे पूर्व के पंजी ॥ रैयत लखी प्रिया देवी के नाम से पुनः पंजी ॥ कायम करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।</p> <p>प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार - मौजा डमारी, थाना बुण्डू, थाना सं० 27, जिला राँची के खाता सं० 7, प्लॉट सं० 264 रकबा 64 डी०, प्लॉट सं० 265 रकबा 1.49 एकड़, प्लॉट सं० 267 रकबा 1.81 एकड़ समेत अन्य भूमि आर० एस० खतियान मे हरिचरण राय, जगरनाथ राय एवं छोडु राय पिता मंगल राय के नाम से</p>	
--------------------------	--	--

अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

2

कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत हरिचरण राय ने उपरोक्त मौजा डमारी, थाना बुण्डू, थाना सं० 27, जिला रॉंची के खाता सं० 7, प्लॉट सं० 267 रकबा 1.81 एकड़ मधे रकबा 90.50 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 7016 दिनांक 22.12.1959 के द्वारा शम्भु नाथ सिंह पिता प्रहलाद चन्द्र सिंह को हस्तांतरित कर दिया। इसी प्रकार खतियानी रैयत हरिचरण राय मौजा डमारी, थाना बुण्डू, थाना सं० 27, जिला रॉंची के खाता सं० 7, प्लॉट सं० 264 रकबा 64 डी० मधे रकबा 32 डी० एवं प्लॉट सं० 265 रकबा 1.49 एकड़ मधे रकबा 74.50 डी०, कुल रकबा 1.49 एकड़ भूमि निबंधित पट्टा सं० 7015 दिनांक 22.12.1959 के द्वारा लखी प्रिया देवी पिता शंभु नाथ सिंह को हस्तांतरित कर दिया। खतियानी रैयत हरिचरण राय एवं छोटु राय नावलद स्वर्गवास हो गये तथा खतियानी रैयतो मे से उपरोक्त जगरनाथ राय अपने पीछे एकमात्र पुत्री लखी प्रिया देवी को छोड़ स्वर्गवास हो गये तथा हरिचरण राय, जगरनाथ राय एवं छोटु राय पिता मंगल राय के द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति की एकलौती वारिस हुई तथा मौजा डमारी के खाता सं० 7 की सम्पूर्ण भूमि की जमाबंदी उपरोक्त लखी प्रिया देवी के नाम से कायम हुआ। लखी प्रिया देवी अपने पीछे तीन पुत्र राखोहरि सिंह, भोपाल सिंह गोपाल चन्द्र सिंह एवं चार पुत्री कलावती देवी, सुभाषिना देवी, पुष्पा देवी एवं कुसुम सिंह छोड़ कर स्वर्गवास हो गयी। लखी प्रिया देवी एवं उनके पति शम्भु नाथ सिंह ने अपने जीवनकाल मे अपने सम्पत्ति का पारिवारिक बंटवारा कर दिया था, जिसके अन्तर्गत मौजा डमारी के खाता सं० 7, प्लॉट सं० 264 रकबा 64 डी०, प्लॉट सं० 265 रकबा 1.49 एकड़, प्लॉट सं० 267 रकबा 1.81 एकड़ कुल रकबा 3.94 एकड़ भूमि राखो हरि सिंह, भुपाल सिंह एवं गोपाल चन्द्र सिंह को आवंटित किया गया। हाल सर्वे के दौरान उपरोक्त भूमि का बंडा पर्चा राखो हरि सिंह, भुपाल सिंह एवं गोपाल चन्द्र सिंह के नाम से निर्गत है। उपरोक्त राखो हरि सिंह ने मौजा डमारी के खाता सं० 7, प्लॉट सं० 264, प्लॉट सं० 265 एवं प्लॉट सं० 267 रकबा 1 एकड़ 31.32 डी० अपने हिस्से की भूमि को निबंधित पट्टा दिनांक 31.03.2021 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे हस्तांतरित कर दिया तथा अंचल अधिकारी बुण्डू के द्वारा उपरोक्त खरीदगी के आधार पर दाखिल

W

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

खारिज वाद सं० 56 आर० 27/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2021 द्वारा उपरोक्त भूमि का नामान्तरण प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत हुआ।

उत्तरवादी सं० 2 पंकज कुमार सिंह धोखाधड़ी कर उपरोक्त भूमि का पावर ऑफ एटोनी लखी देवी के पुत्रियों से प्राप्त कर निबंधित पट्टा दिनांक 17.03.2021 का निष्पादन कर उपरोक्त भूमि उत्तरवादी सं० 3 से 5 को हस्तांतरित कर दिया।

उत्तरवादी सं० 2 को दाखिल खारिज अपील वाद सं० 22/2021-22 दायर करने का कोई Locus Standi प्राप्त नहीं था। उत्तरवादी सं० 2 पंकज कुमार सिंह के पक्ष में लखी प्रिया देवी के पुत्रियों द्वारा निष्पादित पावर ऑफ एटोनी को दिनांक 20.03.2021 को ही निरस्त (Revoke) कर दिया गया है।

उत्तरवादी सं० 3 से 5 के विक्रेताओं में से श्रीमति पुष्पा देवी ने विद्वान सब जज रॉची के न्यायालय में उत्तरवादी सं० 3 से 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को रद्द एवं शून्य घोषित करने के अनुतोश (Relief) के साथ ओ० एस० 226/2021 दायर किया है, जो वर्तमान में लंबित है।

उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार - खतियानी रैयत के वंशज धीरेन्द्र नाथ सिंह, पुष्पा देवी, कुसुम सिंह, पंचानन सिंह, जर्नादन सिंह एवं त्रिभुवन सिंह ने अपने हक एवं हिस्से की भूमि के निष्पादन हेतु निबंधित मुख्तारनामा सं 2021 / RAN / 1587/BK4 / 117 दिनांक 03.03.2021 के द्वारा उत्तरवादी सं० 2 को अधिकृत किया, जिसके बल पर उत्तरवादी सं० 2 ने मौजा डमारी, थाना बुण्डू, थाना सं० 27, जिला रॉची के खाता सं० 7, प्लॉट सं० 264 रकबा 64 डी० मधे रकबा 20 डी० निबंधित पट्टा सं० 1942 दिनांक 18.03.2021 के द्वारा उत्तरवादी सं० 5 लीला सिंह को हस्तांतरित कर दिया तथा मौजा डमारी, थाना बुण्डू, थाना सं० 27, जिला रॉची के खाता सं० 7, प्लॉट सं० 264 रकबा 64 डी० मधे रकबा 6 डी०, प्लॉट सं० 265 रकबा 1.49 एकड़ मधे रकबा 12 डी०, प्लॉट सं० 267 रकबा 1.81, मधे रकबा 22 डी० भूमि निबंधित पट्टा सं० 1941 दिनांक 18.03.2021 के

अनुसूची 14 – फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

द्वारा उत्तरवादी सं० 3 एवं 4 के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया।

खतियानी रैयत के वंशज राखोहरि सिंह के द्वारा अपने हिस्से की भूमि को पूर्व में ही हस्तांतरण कर दिया गया है तथा उनके हिस्से में अब कोई भूमि शेष नहीं है। उपरोक्त राखोहरि सिंह ने प्रार्थी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि के बावत नाजायज रूप से निबंधित बिक्री पट्टा संख्या-2415 द्वारा दिनांक 31.03.2021 का निष्पादन किया गया है, जिसके पश्चात् क्रेता नवीन कुमार (प्रार्थी) ने अंचल कार्यालय, बुण्डू में उपरोक्त भूमि का नामान्तरण कराया गया जिसका दा० खा० वाद संख्या-56 आर० 27/2021-22 है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी को किसी प्रकार का हक एवं अधिकार नहीं बनता है और न ही उनका दखल कब्जा है। अतः उत्तरवादी सं० 2 के द्वारा उपरोक्त दा० खा० वाद संख्या-56 आर० 27/2021-22 के खिलाफ दा० खा० अपील वाद संख्या-22/2021-22 दायर किया गया।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि खतियानी रैयत के वंशज धीरेन्द्र नाथ सिंह, पुष्पा देवी, कुसुम सिंह, पंचानन सिंह, जर्नादन सिंह एवं त्रिभुवन सिंह के द्वारा उत्तरवादी सं० 2 को निबंधित मुख्तारनामा सं 2021 / RAN / 1587/BK4 / 117 दिनांक 03.03.2021 अपना वैध मुख्तार नियुक्त किया गया, जिसके बल पर उन्होंने उत्तरवादी सं० 3 से 5 को प्रश्नगत भूमि दिनांक 18.03.2021 निबंधित पट्टे के द्वारा हस्तांतरित कर दिया। उपरोक्त मुख्तारनामा के पावरकर्त्ताओं में से एक श्रीमति पुष्पा देवी के द्वारा अपने पॉवर को दिनांक 20.03.2021 को विखंडित (Revoke) कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरवादी सं० 2 के द्वारा जब प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण उत्तरवादी सं० 3 से 5 के पक्ष में किया गया, उस समय उनके द्वारा निष्पादित पावर ऑफ एटोर्नी वैध एवं मान्य था तथा उसे विखंडित (Revoke) नहीं किया गया था, हलाकि श्रीमति पुष्पा देवी के विद्वान सब जज रॉची के न्यायालय में उत्तरवादी सं० 3 से 5 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को रद्द एवं शून्य घोषित करने के अनुतोश (Relief) के साथ ओ० एस० 226/2021 दायर किया है, जो वर्तमान में लंबित है, अतः इस संबंध में

2

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है।


प्रार्थी के द्वारा अपने ही पिता से भूमि क्रय करना स्पष्ट: निरूपित दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण आदेश प्राप्त करना प्रतीत होता है।


उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उभय पक्ष का दावा प्रश्नगत भूमि के स्वत्व, हित, अधिकार एवं निष्पादित पट्टे के अवैध एवं शून्य घोषित करने से संबंधित है, जिसका न्यायिक निर्णय किसी राजस्व न्यायालय द्वारा एक सारांश कार्यवाही (summary proceeding) नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है तथा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू रॉंची के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं० 22/2021-22 में दिनांक 07.04.2022 को पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। प्रार्थी यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपना हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि की घोषणा सक्षम न्यायालय से कराने हेतु वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। अंचल अधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे सक्षम न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत भूमि के स्वत्व, हित अधिकार इत्यादि की घोषणा होने तक जमाबंदी पंजी ॥ रैयत लखी प्रिया देवी के नाम से कायम रखे।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

लेखापित एवं संशोधित

  
उपायुक्त  
रॉंची

  
उपायुक्त  
रॉंची